न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन, जिला बाड़मेर

क्रमांक/भू.अ./2025/893 दिनांक 05/06/25

अनवान :—

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
आरब वगैरा	बनाम	अली मोहमद वगैरा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राज.भू.राजस्व अधिनियम
वास्ते करने नेखमबंदी बाबत।

राजस्व आवेदन सं. **327/2024** दिनांक : **04.06.2025**

आदेश

तहसीलदार धनाऊ को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील धनाऊ, पटवार क्षेत्र बामणोर के मौजा राजगढ़ के खेत खसरा सं. **272/9** रकबा **19.4573** हैक्टयर एवं खेत खसरा सं. **275/77** रकबा **09.1054** हैक्टयर भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु आपको कमिशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त विवादित भूमी की नेखमबंदी/पेमाईश आप अपने स्तर पर किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो दोनों पक्षों के रूबरू मुस्तकिल/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर विधिसम्मत तरीके से उपरोक्त भूमी की नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में अवश्य पेश करे।

आवश्यकता होने पर सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है। नेखमबंदी के दौरान विप्रार्थिगण के हितो पर कुठाराघात न हो, प्रार्थीगण कमिशनर को कमिशनर फीश रुपये 500/- मौके पर अदा करेंगे।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी चौहटन

क्रमांक/भू.अ./2025/894 to 897 दिनांक 05/06/25

प्रतिलिपि :-
1. तहसीलदार धनाऊ
2. प्रार्थी आरब वगैरा
3. विप्रार्थीगण अली मोहमद वगैरा
4. थानाधिकारी पुलिस थाना चौहटन/धनाऊ/गौरीमन्ना/[illegible]/सेडवा

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2025.06.24 17:26:27 IST
Reason: SelfAttested

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी
चौहटन